

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन तत्काल

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2657

अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

—: आदेश :-

लिकर मॉनिटरिंग टीम (LMT)

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर/033 चंदेरी/034 मुंगावली के लिये आदर्श संहिता (MCC) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अवैध शराब के परिवहन पर रोकथाम तथा अवैध शराब की जब्ती के लिये विधानसभावार निम्नानुसार दल का गठन किया है—

विधानसभा क्षेत्र क्रं.	दल क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल
032 अशोकनगर	01	श्री आजाद सिंह आर्य,	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	आबकारी विभाग अशोकनगर	7000214920
		श्री लल्लूराम करोसिया	उपनिरीक्षक	आबकारी विभाग अशोकनगर	9977106703
		श्री दिनेश राठौर	आबकारी आरक्षक	आबकारी विभाग अशोकनगर	9715156379
033 चंदेरी	02	त्रिअम्बिका शर्मा	आबकारी उपनिरीक्षक	चंदेरी	9584999088
		श्री संतोष आदिवासी	सहायक ग्रेड-2	आबकारी विभाग अशोकनगर	9754299684
		श्री मोहन सिंह परमार	मुख्य आरक्षक	चंदेरी	9406509425
034 मुंगावली	03	राधा किशन	उपनिरीक्षक	मुंगावली	7000816591
		श्री गोविंद मीना	आरक्षक	मुंगावली	7509980322
		श्री अजय तोमर	आबकारी आरक्षक	अशोकनगर	9144770221

लिकर मॉनिटरिंग टीम (LMT) के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री एम.एम. खददोम जिला आबकारी अधिकारी, अशोकनगर होंगे। लिकर मॉनिटरिंग टीम (LMT) IMFT अवैध बीयर या देशी शराब के परिवहन तथा अंतरराज्यीय परिवहन की निगरानी करेंगी। टीम निर्वाचन के दौरान शराब के उत्पादन, भंडारण (वेयर हाउस) तथा वितरण पर नजर रखेगी। टीम लायसेंसी शराब की दुकानों के स्टॉक, दैनिक प्राप्ति तथा बिक्री पर निगरानी रखेगी साथ ही शराब की दुकानों के खुलने तथा बंद होने के समय की भी सतत निगरानी करेंगी।

टीम जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से अनुलग्नक-22 में तथा अनुलग्नक 22-ए में जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रति अधोहसताक्षरकर्ता को प्रदान करेंगे। टीम अवैध शराब के परिवहन की सूचना पर घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर विधिनुसार जब्ती इत्यादि की कार्यवाही संपादित करेगी। टीम जब्ती की प्रत्येक कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायेगा तथा तदनुसार प्रतिवेदन करेगी। जिला आबकारी अधिकारी अनुलग्नक-2 में दैनिक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करने के लिये भेजेगा। टीम सभी कार्यवाहियों की दैनिक रिपोर्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक (EO) तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा लेखा टीम (AT) को भी प्रदान करेगी। जिला स्तरीय लिकर मॉनिटरिंग टीम के नोडल अधिकारी सभी शराब के भंडार गृहों में 24 x 7 सीसीटीवी पर्यवेक्षण तथा पुलिस गार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

(डॉ. मंजू शर्मा)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला अशोकनगर

पृ.क्रमांक/सामा.निर्वा./2018/2658

अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अशोकनगर/ईसागढ़/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/पिपरई/ईसागढ़/शाढौरा/नईसराय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला आबकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
11. थाना प्रभारी (समस्त) जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला जनसंपर्क अधिकारी अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टेनो-टू-कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
14. संबंधित श्री की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला अशोकनगर